राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1120/2010/जयपुर

मैसर्स सुरेश कुमार गोयल एण्ड कम्पनी,
जयपुर

....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उडनदस्ता,भिवाडी

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :
श्री विवेक सिंघल,
अभिभाषक
श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

....प्रत्यार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 05.04.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स)चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 24/अपील्स–चतुर्थ/10–11/एफ में पारित आदेश दिनांक 25.05.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, भिवाडी (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.1999 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत आरोपित शास्ति 26,785/– को यथावत रखा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन संख्या यूपी–07–सी–6235 को चैक किया। वाहन में लकडी के स्लीपर परिवहनित किया जा रहा था। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों बिल्टी संख्या 504 दिनांक 19.05.1999, सुभाष ट्रांसपोर्ट कम्पनी, उतरप्रदेश वन निगम का फार्म संख्या 3 व एसटी–18ए संख्या 66981–20 आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, जिनकी जांच पर पाया गया कि यह माल जयपुर की फर्म सुरेश कुमार गोयल एण्ड कम्पनी के यहां आया है तथा प्रस्तुत एस.टी–18ए खाली था। इस कारण नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में फर्म के मुनीम श्री प्रमोद कुमार ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया जिसमें उल्लेख किया कि माल का क्रय उ.प्र. वन विभाग से किया है। प्रपत्र एस.टी–18ए ट्रांसपोर्टर की गलती के कारण खाली रह गया। साथ ही यह मंशा जाहिर की, कि अपीलार्थी की कर चोरी की कोई मंशा नहीं थी। जवाब के साथ एस.टी–18ए संख्या 6693/11 पेश किया गया। सशक्त अधिकारी ने प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर अपने आदेश दिनांक 21.05.99 द्वारा माल कीमतन रुपये 89,283/– पर 30 प्रतिशत से रुपये 26,785/– की शास्ति आरोपित की गई। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2010 द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील को अस्वीकार करते हुए आरोपित

लगातार.....2

शास्ति को यथावत रखा। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. अपीलार्थी–व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि वक्त परिवहनित माल के साथ बिल व बिल्टी मौजूद थे, परन्तु प्रेषक फर्म द्वारा भूलवश एस.टी–18ए की पूर्ति नहीं की गई। जिसे नोटिस के जवाब के साथ दूसरा एस.टी–18ए संख्या 6693/11 प्रस्तुत कर दिया गया था। उनका निवेदन था कि अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी के आदेशों को अपास्त करते हुए, उन्होंने अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए, उन्होंने अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गई व रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी द्वारा ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान वाहन को चैक किया गया। वक्त चैकिंग प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के दौरान पाया गया कि एस.टी–18ए संख्या 66981–20 रिक्त था। उक्त तथ्यों के आधार पर सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए अधिनियम की धारा 78(5) के अन्तर्गत शास्ति आरोपण करने का नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस की पालना में संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं करने के कारण, सशक्त अधिकारी द्वारा 78(5) के अन्तर्गत माल की कीमत पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति आरोपित की गई है, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मै0 डी.पी.मैटल के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धान्त लागू नहीं होते क्योंकि उक्त प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि परिवहन के दौरान यदि कोई दस्तावेज भूल से पीछे छूट जाता है और वह बाद में प्रस्तुत किया जाता है तो शास्ति आकर्षित नहीं होती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वा.क.अ. (2007) STC 269 के प्रकरण में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से भरे हुए दस्तावेज माल के साथ होना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में नोटिस की पालना में दूसरा घोषणा पत्र एसटी–18ए संख्या 6693/11 प्रस्तुत किया गया है जो बाद की सोच (After thought) सोच है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने उक्त निर्णय को अपीलाधीन आदेश में उद्धरित करते हुए, सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को यथावत रखा है, जो पूर्णतया उचित है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का पूर्ण रूप से विवेचन करते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति यथावत रखने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। अतः इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की अवश्यकता प्रतीत नहीं होने से अपील अस्वीकार होने योग्य है।

6. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.05.2010 की पुष्टि की जाती है।

. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)